सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

वाद संख्याः 2017/220 दायर दिनांक 02.08.2017

वादी		प्रतिवादी
1. औमप्रकाश पुत्र भंवराराम, जाति जाट, उम्र 46 वर्ष, निवासी सुपका, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत घोषणा खातेदारी

उपस्थित :—

1. श्री हीरसिंह बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

—:: निर्णय ::— दिनांक 11.07.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खेत खसरा संख्या 352 रकबा 1.11 बीघा वाके सुपका स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी नराणी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है, जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 352 रकबा 18.13 बीघा वाके सरहद सुपका है, जिसमें से खेत खसरा संख्या 526/352 रकबा 12 बीस्वा मंगनाराम को बेचने से उसकी खातेदारी दर्ज हो गयी। तथा 16 बीघा भूमि गीता देवी को बेचने से खसरा संख्या 542/352 दर्ज हो गयी। तथा इसी प्रकार 527/352 रकबा 10 बिस्वा हजारीराम के नाम से दर्ज हो गयी। नकल जमाबन्दी वाद के साथ पेश है। खेत खसरा संख्या 352 में से 10201 वर्गफुट जमीन का बेचाण नराणी ने कमला देवी पत्नि भंवराराम जाट, निवासी सुपका को 45340/— रूपयों में दिनॉक 11.06.2004 को कर दिया, जिस पर कमला का कब्जा काश्त रहा तथा हाल ही में दिनॉक 05.04.2013 को कमला देवी ने उक्त क्रय सुदा भूमि 10201 वर्ग फुट अर्थात 11.14 बिस्वा भूमि वादी औमप्रकाश को 193819/रूपयों में बेचाण कर वास्तवीक व भौतिक रूप से कब्जा संभला दिया। जिसके चारो और डोल देकर व समतल कर वादी काबिज है। बेचाणनामा की नकले वाद के साथ पेश है। नराणी बेवा बलाराम, जाति जाट, निवासी सुपका से कमला देवी पत्नि भंवराराम, जाति जाट, निवासी सुपका ने दस हजार दो सौ एक वर्ग फुट जमीन खरीद की गयी, जिसके कारणकमला देवी के नाम से नामान्तरकरण नहीं भरा गया, क्योंकि विक्रय पत्र में बीघा/बिस्वा में बेचाण करना चाहिए था, जो नहीं किया गया तथा कमला देवी से वादी ओमप्रकाश ने उक्त भूमि 10201 वर्गफुट अर्थात 11.14 बिस्वा अर्थात 11 बिस्वा 14 बिस्वास भूमि क्रय की है। जिसका उल्लेख बिघा में किया गया है। जिसकी खातेदारी दादी अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाना चाहता है, जिसका की वह कानूनन हकदार है, वादी का नाम

पृष्ठ संख्या ....2...... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी में दर्ज नहीं होने से उसे सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी असुविधा होती है। खेत खसरा संख्या 352 रकबा 1.11 बीघा में से 11 बिस्वा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से की जाकर वादी के नाम से खातेदारी की घोषणा की जानी जरूरी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का pw-1 ओमप्रकाश का शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1, विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श –2, विक्रय पत्र की नकल प्रदर्श –3 पेश किये। खसरा संख्या 352 की खातेदारी नराणी द्वारा दिनॉक 11.06.2004 के जरीये कमला देवी को बेचाण किया गया है, तथा कमला देवी ने वादी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनॉक 05.04.20:3 को बेचाण किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी की उक्त जायगा खरीद सुदा है।

वकिल वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अधिवक्ता वादी वाद को प्राथमिक डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद सूपका में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 352 रकबा 1.11 बीघा, में से 11 बिस्वा 14 बिस्वांशी भूमि का वादी ओमप्रकाश पुत्र भंवराराम, जाति जाट, निवासी सुपका, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान को खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A. S.**

राजस्व वाद संख्याः **2017/220** दायर दिनांक **02.08.2017**

1. औमप्रकाश पुत्र भंवराराम, जाति जाट, उम्र 46 वर्ष, निवासी सुपका, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	**बनाम**	1. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी

अन्तर्गत धारा– 188 R.T.Act.

दिनांक :– 11.07.2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री हीरसिह बलारा, रणजीत बलारा, अधिवक्ता, वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा सुपका पटवार क्षैत्र लादड़ियां भू– निरीक्षक क्षैत्र **दयालपुरा,** तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद सूपका में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 352 रकबा 1.11 बीघा में से 11 बिस्वा 14 बिस्वांशी भूमि का वादी ओमप्रकाश पुत्र भंवराराम, जाति जाट, निवासी सुपका, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान को खातेदार घोषित किया जाता है, तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बाबत.............–........ ..खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। सब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.07.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

(मुहर: सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मिजान		
थ्मजान					

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

(मुहर: सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर))
डीडवाना

Scanned by CamScanner